


FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर पवन कुमार बनाम कमला देवी 92/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p><u>11.3.25</u></p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>पवन कुमार</u></p> <p>पिता श्री <u>बिहारीलाल जीनगर</u></p> <p>निवासी <u>गोपालनगर, तह वस्ती</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ के ग्राम <u>सुरूपपोल (वस्ती)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1741/18</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> कुल रकबा <u>0.3000</u> है0 की पत्थरगडं कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सुरूपपोल (वस्ती)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1741/18</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> रकबा <u>0.3000</u> है0 की बिना किसी कब्ज में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500</u> रुपये अक्षरे <u>पोच से रनपमे</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्रसि पर पेश हो।</p> <div style="text-align: right;">  (वीनू कुमार) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </div>